

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 07/06/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए.बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा एसईजे० की अध्यक्षता में 07/06/2022 पूर्वाह्न 11:30 बजे को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से नोएडा एसईजे० की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

A. अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे:-

1. श्री नितिन गुसा, उप विकास आयुक्त, एनएसईजे० (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)।
2. श्री अनिल कुमार, उप. उद्योग आयुक्त, डीआईसी, नोएडा प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि।
3. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुकालय।
4. श्री चमन लाल, एफटीडीओ, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली
5. श्री सुनील कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
6. श्रीमती मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) अमित गुसा, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजे०, (ii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजे०, (iii) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजे०, (iv) सत्य विजय वर्मा, एईई, यूपीपीसीबी, नोएडा और (v) एस के भारती, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित कोरम उपलब्ध है और बैठक का कार्य शुरू किया जा सकता है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मर्दों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया।

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन: 04/05/2022.

यह बताया गया कि 04/05/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदन समिति ने यह नोट किया और तदनुसार, 04/05/2022 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

(2) जे एंड एस एक्सपोर्ट्स - एलओए की समीक्षा।

2.1 श्री धूव जालान, पार्टनर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री जालान ने बताया कि वे पिछले 5-6 वर्षों से अपने व्यवसाय में बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं। उनके और कुछ विदेशी सहयोगी के साथ गठजोड़ सहित व्यापार को पूंजीकृत करने के लिए वित्तीय पुनर्निर्माण शुरू कर

File No. 12/01/2019-Proj

दिया है। श्री जालान ने आगे बताया कि इस उद्देश्य के लिए, साझेदारी फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जिसके लिए वे बहुत जल्द संघटन में परिवर्तन और एलओए के नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि इकाई ने पहले पट्टा किराया समाशोधन की प्रतिबद्धता दी थी लेकिन बकाया पट्टा किराया जमा करने में विफल रही थी।

2.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को पूरे बकाया पट्टा किराए को छुकाने और उसका पूरा जमा करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। समिति ने यूनिट को इस संबंध में संचार जारी होने के 15 दिनों के भीतर व्यवसाय योजना, आदेशों की प्रति, इकाई के संघटन में परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों को अग्रेषित करने का भी निर्देश दिया जो पहले फर्म के गठन को साझेदारी से प्रोपराइटरशिप में बदलने के संबंध में प्राप्त हुए थे (जैसा कि इकाई के ईमेल दिनांक 05.06.2022 में दर्शाया गया है)। इसके बाद मामले को अगले यूएसी में रखा जाएगा।

(3) अमिगा इंफोर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड - अधिकृत संचालन और परिवर्तन में संशोधन व्यापार के क्षेत्र में और एलओए की वैधता में विस्तार।

3.1 श्री धनंजय प्रताप सिंह, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उनके प्रस्ताव को समझाया। श्री सिंह ने बताया कि कोविड के दौरान अधिकारियों की छुट्टी के कारण वे पहले एलओए एक्सटेंशन के लिए फाइल नहीं कर पाए थे। इसके अलावा, महामारी के कारण, वे रेडीमेड कपड़ों के निर्माण की परियोजना शुरू नहीं कर सके और अब कपड़ों के निर्यात में वृद्धि में अनिश्चितता के कारण वे अपने कारखाने का उपयोग एनएसईजेड परिसर के अलग-अलग मंजिलों पर आईटी / आईटीईएस और अपने पैकिंग सामग्री का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने आगे बताया कि वे पहले से ही ए43, सेक्टर 63, नोएडा में डीटीए में अपना आईटी / आईटीईएस कारोबार चला रहे हैं जिसमें लगभग 30 करोड़ रु. का कारोबार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि टेक महिंद्रा लिमिटेड और एचसीएल लिमिटेड आदि जैसी कई कंपनियों के साथ उनका व्यापारिक गठजोड़ है।

3.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि अपने प्रस्ताव में इकाई ने केवल मौजूदा अधिकृत संचालन जैसे 'ईशक्ति डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड' के लिए "रेडीमेड कपड़ों और जॉब वर्क" को "कार्टन, बक्से और नालीदार कागज या पेपरबोर्ड के मामलों का निर्माण (48191010, 48195010)" में बदलने के लिए आवेदन किया था। आईटी/आईटीईएस के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

3.3 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि तत्काल प्रस्ताव एलओए की वैधता 19/02/2021 से आगे, चौथे और पांचवें वर्ष के विस्तार के लिए है। इकाई ने न तो चौथे वर्ष के विस्तार के लिए आवेदन किया है और न ही 2/3 के पूरा होने के संबंध में CE प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिन गतिविधियों के कारण मामला एसईजेड नियम, 2006 के नियम 19(4) के तहत डीसी, एनएसईजेड के दायरे में नहीं आता है। इसलिए, इस मामले में किसी और विस्तार पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन बोर्ड (BOA) है।

3.4 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को निम्नलिखित निर्देश दिया:

- I. एलओए एक्सटैशन के लिए ऑनलाइन आवेदन।
- II. आईटी/आईटीईएस से संबंधित विवरण के साथ पूरी परियोजना रिपोर्ट।
- III. प्लॉट नंबर 115, एनएसईजेड में परियोजना के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्यक्रम।
- IV. चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया है कि गतिविधियों का 2/3 भाग यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण पूरा हो गया है।
- V. वाणिज्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार व्यवसाय योजना, किए गए निवेश और वृद्धिशील निवेश और अब तक की वास्तविक प्रगति का विवरण
- VI. एलओए संशोधन पत्र दिनांक 24/02/2022 के संबंध में नियम और शर्तों का समय से अनुपातन न करने एवं बांड-सह-एलयूटी का निष्पादन न करने का कारण।
- VII. परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के विस्तृत कारण।
- VIII. पिछले दो वर्षों के लिए कंपनी की पूर्ण लेखापरीक्षित बैलेंस शीट।

3.5 अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त को यूनिट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ-साथ इस यूएसी बैठक के दौरान उनके द्वारा दिए गए बयानों की जांच करने का अधिकार दिया। आगे कोई भी आवश्यक कार्रवाई/निर्णय फाइल पर लिया जा सकता है।

(4) कूपर फार्मा लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

4.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राकेश भार्गव अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। अनुमोदन समिति ने पाया कि अतिरिक्त विनिर्माण गतिविधियों के लिए जारी किया गया ड्रग लाइसेंस एक विशिष्ट खरीदार यानी मोहम्मद जहांगीर ट्रेडिंग एलएलसी, दुबई, यूएई, के लिए है "और निर्दिष्ट मात्रा उल्लिखित है"।

4.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त व्यापारिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव, बशर्ते कि व्यापारिक वस्तुओं के लिए लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत की जाए, को अनुमोदित किया। अनुमोदन समिति ने मोहम्मद जहांगीर ट्रेडिंग एलएलसी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात को वर्तमान की वैधता तक केवल विशिष्ट लेनदेन यानी निर्दिष्ट मात्रा के निर्यात (चाहे एक या एक से अधिक शिपमेंट/निर्यात दस्तावेजों/तिथियों में) के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त विनिर्माण गतिविधियों के लिए, लाइसेंस के पांच साल के ब्लॉक तक अनुमोदन प्रदान किया।

(5) डिजिफ्लेक्स इंडिया लिमिटेड - एलओए का पुनरुद्धार।

5.1 श्री अरुण खन्ना, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उनके प्रस्ताव के बारे में बताया। अनुमोदन समिति ने देखा कि जैसा कि पहले ही पत्र 26.02.2020 द्वारा इकाई को सूचित किया गया था, कि इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप नहीं है।

File No. 12/01/2019-Proj

5.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया एवं इकाई को निर्देश दिया कि इकाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार की योजना के अनुरूप एलओए के पुनरुद्धार के लिए अपना विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करे तथासाथ में कच्चे माल की सूची, पूँजीगत सामान, अगले पांच वर्षों के लिए प्रोजेक्शन, आईटीसी (एचएस) कोड प्रस्तावित अधिकृत संचालन के पूर्ण विवरण और 26.02.2020 के कार्यालय पत्र में बताये गये मुद्दों का उत्तर और बकाया लीज रेट देने को भी कहा।

(6) एडवांस इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने ईमेल दिनांक 06/06/2022 के माध्यम से प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया है। अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया।

(7) एम.एम. निटवेअर - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

7.1 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अजीत राघव बैठक में उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। अनुमोदन समिति ने पाया कि प्लॉट संख्या 100, एनएसईजेड के संबंध में नौ तिमाहियों का पट्टा किराया बकाया है। श्री राघव ने बताया कि वे जून 2022 के अंत तक पूरे लीज रेट का भुगतान कर देंगे।

7.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को पहले पूरे पट्टे के किराए का भुगतान करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने डीसी, एनएसईजेड को लीज रेट जमा करने के अधीन फाइल के एलओए नवीनीकरण के अनुरोध की जांच करने और विचार करने का अधिकार दिया। समिति ने 31.03.2021 तक इकाई के प्रदर्शन की निगरानी भी की और इकाई द्वारा सकारात्मक NFE आय की उपलब्धि को नोट किया। कमिटी ने यूनिट को *sezonline* के सिस्टम में इंफ्रा ज्ञोन जॉब वर्क सहित सभी गतिविधियों के लेन-देन का विवरण दर्ज करना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

(8) प्रोटेम कंप्यूटर - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

8.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद मामले को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया।

(9) एपीके आइडेंटिफिकेशन (दिल्ली) - भागीदारों में परिवर्तन और फर्म के लाभ / हानि साझाकरण अनुपात।

9.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और भागीदारों और लाभ / हानि के बंटवारे के अनुपात में बदलाव पर ध्यान दिया।

(10) कपूर टेकनोलॉजिस - भागीदारों में परिवर्तन और फर्म के लाभ / हानि के बंटवारे का अनुपात।

10.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और भागीदारों में परिवर्तन और लाभ / हानि साझाकरण अनुपात को नोट किया एवं उचित विचार-विमर्श के बाद, इससे संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(11) कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (यूनिट- I & III) - निर्देश संख्या 95 के अनुसार उनके एनएसईजेड परिसर में कैफेटेरिया / कैटीन, चिकित्सा, क्रेच और जिम सुविधा संचालित करने का प्रस्ताव।

11.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद स्थान के विवरण के साथ लेआउट/फर्श योजना की स्पष्ट प्रति प्रस्तुत करने के अधीन इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें कुल क्षेत्रफल, फर्श, प्लॉट नंबर आदि शामिल होगा, जिसका उपयोग कैटीन, मेडिकल रूम, व्यायामशाला और क्रेच के संचालन के लिए किया जाना प्रस्तावित है। इसकी अनुमति निर्देश संख्या 95 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

(12) दिव्या क्रिएशन्स - एलओए की शर्तों में संशोधन के लिए अनुरोध।

12.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, लैब ग्रोन डायमंड्स (71131930) से जड़ी सोने के आभूषणों के निर्माण के शर्तों का संशोधन करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों पर है:-

1. प्रयोगशाला में विकसित हीरों के विवरण के संबंध में इकाई द्वारा घोषणा जिसमें टुकड़ों की संख्या, उसका मूल्य और शुद्धता शामिल है।
2. इकाई प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों के आयात और निर्यात के बीच एक के बाद एक सहसंबंध बनाए रखेगी।
3. शुद्धता/कैरेटेज के संबंध में इसके परीक्षण के लिए एनएसईजेड सीमा शुल्क द्वारा प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों के नमूने का चित्रण।

(13) सक्षम प्रावधानों के अभाव में जीएसटी छूट प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित मामला।

13.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और पाया कि संबंधित एसईजेड अधिनियमों/नियमों में ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। हालांकि, कमिटी ने नोट किया कि इस कार्यालय द्वारा अतीत में विशिष्ट आपूर्तिकर्ताओं से जारी किए गए व्यक्तिगत प्रमाण पत्र स्थानीय खरीद में कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों के विशिष्ट अनुरोध पर थे। कमिटी ने आगे कहा कि SEZ एक्ट, 2005 की धारा 26 के प्रावधान, आईजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 16(1)(बी) के प्रावधान, ऐसी छूटों से संबंधित सभी प्रावधान पहले से ही सार्वजनिक हैं। इसके अलावा, एसईजेड नियम 19(6) के अनुसार, इकाई को जारी वैध एलओए को अधिकृत संचालन से संबंधित सभी उद्देश्यों के लिए लाइसेंस के रूप में माना जाएगा। इसलिए, विशेष रूप से सक्षम प्रावधानों के अभाव में अब से अलग/व्यक्तिगत प्रमाण पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

13.2 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के तहत शून्य रेटेड आईजीएसटी सहित एसईजेड इकाइयों को उपलब्ध छूट के संबंध में एनएसईजेड में सभी इकाइयों के

File No. 12/01/2019-Proj

लिए एक सामान्य परिपत्र/सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया ताकि इकाई के संचालन में आसानी हो सके।

(14) कोपेरियन आइडियल प्राइवेट लिमिटेड - एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार प्रदर्शन की निगरानी।

14.1 अनुमोदन समिति ने SEZ नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और इकाई द्वारा सकारात्मक NFE आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड को फाइल पर अंतिम निकासी आदेश जारी करने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(15) सुप्रा इंडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड - नाम / निदेशकों / शेयरधारिता पैटर्न और पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन और एलओए का नवीनीकरण

15.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार नाम में परिवर्तन और निदेशकों/शेयरधारिता में परिवर्तन को नोट किया और इकाई को शेष दस्तावेजों को जमा करने को कहा। अनुमोदन समिति ने पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन को भी नोट किया।

15.2 अनुमोदन समिति ने यूनिट के एलओए को पांच साल के तीसरे ब्लॉक यानी 01/03/2022 से 28/02/2027 तक नवीनीकृत करने का भी निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने प्रदर्शन की निगरानी के लिए मामले को आगे स्थगित कर दिया और इकाई को पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान डीटीए सेवा आपूर्ति के खिलाफ भुगतान की मुद्रा का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समिति ने भविष्य में एलओए और बॉन्ड सह कानूनी उपक्रम (बीएलयूटी) के नियमों और शर्तों के समय पर अनुपालन में इकाई को सतर्क रहने की भी चेतावनी दी।

(16) लिंगो इंपेक्स - अधिकृत संचालन के आईटीसी (एचएस) कोड का अद्यतन।

16.1 यूनिट से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद मामले को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया।

(17) शिनपैक ओवरसीज एक्सपोर्ट्स - उत्पादन क्षमता बढ़ाने और प्रदर्शन की निगरानी के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

17.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर नियत समय के बाद विस्तार से विचार-विमर्श और चर्चा करके इकाई की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए दिए गए अनुमोदन की पुष्टि की। हालांकि समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और इकाई को एनएसईजेड सीमा शुल्क द्वारा विधिवत् सत्यापित नियम 53 (ए) के तहत की गई आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया।

(18) हरबुल मैंहदी एक्सपोर्ट हाउस - भागीदारों में परिवर्तन और फर्म का लाभ / हानि शेयर अनुपात और प्रदर्शन की निगरानी।

18.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और भागीदारों में परिवर्तन और फर्म के लाभ/हानि को शेयर अनुपात को नोट किया। यह परिवर्तन निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 की संशोधित शर्तों के अनुसार फर्मों के रजिस्ट्रार के साथ विधिवत पंजीकृत भागीदारी के दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन हैं। अनुमोदन समिति ने SEZ नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी भी की और 31.03.2021 को इकाई द्वारा सकारात्मक NFE आय की उपलब्धि को नोट किया। समिति ने इकाई को भविष्य में इकाई के संबंध में ऐसे किसी भी परिवर्तन की सूचना समय पर सुनिश्चित करने की भी सलाह दी।

(19)  कलियर्स - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

19.1 अनुमोदन समिति के समक्ष फर्म के मालिक श्री विशाल जोशी उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। यह बताया गया कि निषिद्ध/प्रतिबंधित वस्तुओं (डीटीए से खरीदने पर) के लिए बीओए की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

19.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद अतिरिक्त निर्यात उत्पादों को शामिल करने के लिए मदर ऑफ पल्स (96019020) को छोड़कर यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यूनिट आयातित/स्वदेशी कच्चे माल और उनके आईटीसी (एचएस) उत्पाद कोड की अलग सूची भी प्रस्तुत करेंगी।

(20) अजीत एक्सपोर्ट्स - एलओए का पुनरुद्धार।


20.1 श्री अजीत सिंह, पार्टनर और श्री महेंद्र सिंह, इकाई के प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। अनुमोदन समिति ने पाया कि प्लॉट संख्या 129जी/09, एनएसईजेड के संबंध में 10,68,882/- रुपये का लीज रेट यूनिट के खिलाफ बकाया है। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि नोएडा सीमा शुल्क आयुकालय ने सूचित किया है कि विभाग माननीय CESTAT आदेश दिनांक 31/01/2022 के खिलाफ अपील दायर करने जा रहा है।

20.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद नोएडा सीमा शुल्क द्वारा अपील करने के निर्णय के आलोक में, मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया। नोएडा कस्टम्स और एनएसईजेड कस्टम्स से विस्तृत रिपोर्ट/टिप्पणियां मांगी जाएंगी। अनुमोदन समिति ने आगे सोच-विचार कर रिपोर्ट/टिप्पणियों की प्राप्ति पर मामले की जांच करने का और आगे के लिए उसके समक्ष रखने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


(नितिन गुप्ता)

उप. विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त

